

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

गामला कर्मांक 202504290400041 अ-62 वर्ष 2024-25

(1)	(2)	(3)
25.07.2025	प्रकरण पेश। आवेदक अनुपरिधत। वन विभाग एवं राजस्व निरीक्षक से संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होकर प्रकरण में संलग्न किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में आवेदित भूमि ख0न0 15/5 रकबा 0.372 हे0 भूमि पर सूखा सागौन वृक्ष निरंक एवं परिपक्व वृक्ष निरंक होना प्रतिवेदित किया है। इस कारण आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर आर0आर0दाखिल किया जावे।  अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गण्डई-छड़खदान गण्डई-छड़खदान-छड़खदान-छड़खदान	